Pradhan Mantri
Awaas Yojana
प्रधान मंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

सबके लिए आवास

के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवनों (जी+3) हेतु मांग सर्वेक्षण पुस्तिका

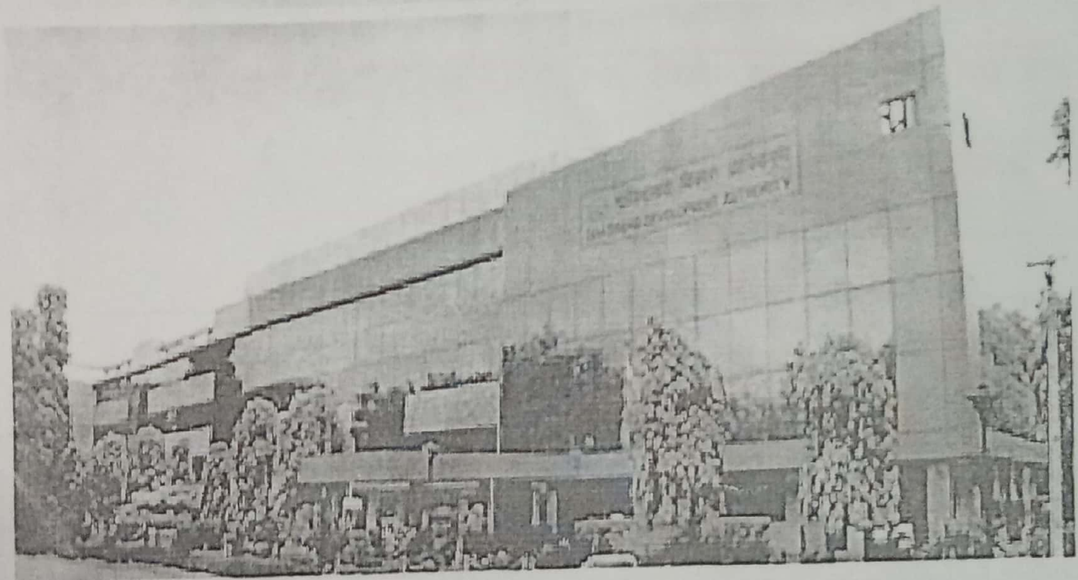

सर्वे की तिथि दि0–10.01.2020 से 09.02.2020 तक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

I.S.O.9001 -2015 एवं I.S.O.-14001 2015 प्रमाणित संस्था

मूल्य रू० 50/-

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री आवास योजना डिमान्ड सर्वे ब्रोशर
सर्वे की तिथि दि0–10.01.2020 से 09.02.2020 तक

कृपया शासन के दिशा–निर्देशो के क्रम मे प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम निवाडी तहसील मोदीनगर दुर्बल आय वर्ग के भवनो (जी+3) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उच्चधिकारियो द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम मे गाजियाबाद के ग्राम निवाडी के भवनो का निर्माण किये जाने हेतु डिमाण्ड सर्वे किया जाना है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

योजना का नाम	ग्राम निवाडी, तहसील मोदीनगर
प्रस्तावित भवनो की संख्या	816
भवनो का आंतरिक संरचना	02 आवासीय कमरे, रसोई घर, शौचालय, स्नान घर, बालकनी
आच्छादित क्षेत्रफल	27.37 वर्ग0मी0
भवन का मूल्य(प्रति भवन)	सीलिंग कॉस्ट रू0–4.50 लाख निर्धारित है।
	भारत सरकार का अंशदान रू0–1.50 लाख होगा।
	राज्य सरकार का अंशदान रू0–1.00 लाख होगा।
	अवशेष धनराशि रू0–2.20 लाख लाभार्थी से प्राप्त की जायेगी।
	भवन का मूल्य घट बढ सकता है।

लाभार्थी की पात्रता:–

- लाभार्थी परिवार मे पति, पत्नी एवं अविवाहित बेटे और/अथवा अविवाहित बेटियॉ शामिल होगे।
- लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय रू0–3.00 लाख से कम होनी चाहिए।
- एक व्यस्क कमाऊ (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना) को एक अलग परिवार समझा जा सकता है, बशर्ते उसके पास भारत के किसी भी भाग मे उसके नाम पर कोई पक्की (सभी मौसम वाली) रिहायशी इकाईयॉ नही होनी चाहिए। बशर्ते यह भी विवाहित दम्पत्ति के मामले

Scanned by CamScanner

मे पति/पत्नी मे से कोई एक अथवा दोनो संयुक्त स्वामित्व मे एक आवास के लिए पात्र होगे, शर्त यह है कि स्कीम के तहत परिवार की आय पात्रता के अन्तर्गत आती हो।

- लाभार्थी गाजियाबाद विकास क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

डिमाण्ड सर्वे हेतु नियम एवं शर्तेः–

- मॉग सर्वेक्षण को भवन आवंटन हेतु पंजीकरण नही माना जायेगा।
- मॉग सर्वेक्षण के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भवनो के विक्रय हेतु पृथक से पंजीकरण खोला जायेगा। पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्ते एवं अर्हताएँ पूर्ण करनी होगी।
- एक व्यक्ति केवल एक बार ही आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा।
- अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेगे।
- समय–समय पर जारी शासनादेश मान्य होगे।
- शासनादेश के अनुसार वरीयता निम्नअनुसार दी जायेगी।

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्रम0 सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछडा वर्ग	27

(ब) हारिजन्टल वरीयता

क्रम0 सं0	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1	दिव्यांग जन	05 प्रतिशत (वरीयता–भूतल के भवन/फलैट)
2	विधवा/एकल महिला	08 प्रतिशत
3	उभयलिंगी	0.05 प्रतिशत
4	अल्पसंख्यक	अन्य पिछडा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है
5	वरिष्ठ नागरिक	10 प्रतिशत(वरीयता–भूतल के भवन/फलैट)

- आवेदन पत्र का मूल्य रू0–50/– समायोजित/वापस नही होगा।
- भवनो की संख्या, क्षेत्रफल, स्थल पात्रता एवं नियम व शर्तो मे यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो वह लाभार्थी को मान्य होगा।

आवेदन की प्रक्रियाः–

Scanned by CamScanner

- डिमाण्ड सर्वे के आवेदन पत्र प्राधिकरण की बेबसाइट www.gdaghaziabad.com मे दिये गये लिंक pmaygda.upda.in पर ऑनलाईन भरे जायेगे तथा आवेदन पत्र की कीमत रू0–50/– ऑनलाईन भुगतान एच0डी0एफ0सी0 बैक डी–44 आर0डी0सी0 राजनगर गाजियाबाद के माध्यम से किया जायेगा।
- खाता संख्या V.C.GDA PMAY–50100299389350 HDFC BANK RAJNAGAR शाखा मे धनराशि जमा करानी होगी।
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक–10.01.2020 से 09.02.2020 तक अपलोड किये जा सकते है।

अतः उपरोक्त के कम मे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनो (जी+3) हेतु मांग सर्वेक्षण पुस्तिका का प्रारूप तैयार कर दायी ओर संलग्न कर दिया गया है। डिमाण्ड सर्वे हेतु आवेदन पत्र दिनांक– 10.01.2020 से 09.02.2020 तक आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करना चाहे।

उपाध्यक्ष

Scanned by CamScanner